

राँची के ब्रह्म मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने पर दोबारा नरिणय ले एएसआई : झारखंड हाईकोर्ट

चर्चा में क्यों?

- 5 सितंबर, 2023 को राँची के ऐतिहासिक टैगोर हलि के ऊपर स्थित ब्रह्म मंदिर के संरक्षण व राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने को लेकर दायर जनहति याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि टैगोर हलि के ब्रह्म मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के संबंध में भारतीय पुरातत्व विभाग (एएसआई) तीन माह के अंदर फरि से नरिणय ले ।

प्रमुख बदि

- चीफ जस्टिस संजय कुमार मशिर व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कई नरिदेश देते हुए जनहति याचिका को नषिपादति कर दिया । इससे पहले 31 जुलाई को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षति रख लिया था ।
- राज्य सरकार को टैगोर हलि क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का नरिदेश देते हुए खंडपीठ ने कहा कि भूमि सुधार व राजस्व विभाग एक समति बिनाएगा, जो टैगोर हलि की चहारदीवारी की माप कराएगी । यह माप औरजिनल राजस्व रिकॉर्ड के अनुरूप कराई जाए । इसके बाद टैगोर हलि की चहारदीवारी को उसके मूल स्वरूप में लाया जाए । सर्वे के लिये बनाई जानेवाली समति में राँची के उपायुक्त द्वारा मनोनीत सदस्य रहेंगे ।
- खंडपीठ ने राज्य सरकार को टैगोर हलि के ब्रह्म मंदिर, कुसुम ताल, शांति धाम व समाधिस्थल का संरक्षण तथा रख-रखाव करने का नरिदेश दिया । खंडपीठ ने कहा कि टैगोर हलि क्षेत्र को सुंदर बनाया जाए तथा पूरे क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए ।
- इससे पूर्व मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने पैरवी की । वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद व केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पक्ष रखा था ।
- उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सोसाइटी ऑफ प्रजिर्वेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड नेचुरल ब्यूटी की ओर से जनहति याचिका दायर की गई थी । प्रार्थी ने ब्रह्म मंदिर के संरक्षण के साथ-साथ इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की थी ।
- मामला याचिकाकर्त्ता ने कहा है कि मोरहाबादी में टैगोर हलि के ऊपर स्थित ब्रह्म मंदिर 1910 में बना था । इसे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिरिंदिरनाथ टैगोर ने बनवाया था । वह नाटककार, चित्कार और संगीतकार थे । ब्रह्म मंदिर के संरक्षण के साथ-साथ केंद्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए ।



PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/asi-should-take-a-seconddecision-on-declaring-ranchi-brahma-temple-as-national-heritage-jharkhand-high-court>

